दो देशों की करंसियों का उधार लेन-देन

चौथा फिक्ही सेमिनार (हैदराबाद) दिनांक 27-30 मुहर्रम 1412 हिजरी, 9- 12 अगस्त 1991 ई॰ को आयोजित हुआ।

दो देशों की करंसियों के आपसी लेन-देन के मसले में इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी (इन्डिया) की ओर से आयोजित होने वाले दूसरे फ़िक्ही सेमीनार में यह तय हो चुका है कि दो देशों की करन्सियाँ दो जातियां (धतु) हैं जिनका आपसी लेन-देन कमी–बेशी के साथ मौक़े पर जाइज़ है।

चौथे सेमीनार में यह मसला चर्चा में आया कि दो देशों की करंसियों के लेन-देन में करंसियों के बदले पर तुरन्त (कब्ज़ा मौक़े पर) ज़रूरी है या नहीं? भाग लेने वाले उलमा के दो मत सामने आए। एक मत यह है कि मामला तय हाने वाली मज़लिस में दोनों ओर से बदल (करंसियों) पर तुरन्त कब्ज़ा आवश्यक नहीं। बल्कि एक ही बदल पर कब्ज़ा पर्याप्त है क्योंकि नोटों की हैसियत पूर्ण रूप से सोने चांदी जैसी नहीं हैं बल्कि यह संकेतिक और विश्वास की दृष्टि से पारिभाषिक है। उलमा की एक जमाअत इसे सोने चांदी की तरह ही मानती है इसलिए दोनों ओर से बदल पर मामले की समिति में आवश्यक ठहराती है अलबत्ता ये लोग सामान्य तौर पर कब्ज़ा की परिभाषा को व्यापक करते हुए ड्राफ्ट और चैक की प्राप्ती को असल बदल पर कब्ज़ा का विकल्प ठहराते हैं।

इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी का यह अधिवेशन हर दो प्रभावशाली रायों को सामने रखते हुए तय करता है कि दो देशों की करंसियों के उधार लेन-देन के मामले में हर हाल में सुविधा बरती जाए लेकिन वास्तविक ज़रूरत पड़ने की सूरत में पहली राय पर अलम किया जा सकता है।

☆☆☆